न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 —31/2019
अनवान : —

1. छबीलाराम पुत्र माईलाल जाति जाट निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—श्री बलवन्त सिंह प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 17/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं 149/122 में 2.1630है0 खाता सं 85/81 में 2.7950है0 खाता सं 67 में 4.4880है0 खाता सं 282/258 में 2.7060है0 खाता सं 335/293 में 2.7060है0 कृषी भूमि प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि में खाता सं 335/293 की कृषी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम मालाराम दर्ज हो गया है। जबकि शेष खातों की कृषी भूमि में प्रार्थी के पिता का सही नाम माईलाल ही दर्ज है। प्रार्थी के पिता का सही नाम माईलाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, राशन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज माईलाल नाम से ही है। प्रार्थी के पिता का सभी दस्तावेजों में नाम माईलाल ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम मालाराम की जगह माईलाल करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में छबीलाराम पुत्र माईलाल तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उतरादाबास प्रदर्श 1 व 2 जमाबंदी ग्राम

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भनाई खाता सं 335/293 प्रदर्श 3 व चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी ने रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं 149/122 में 2.1630है0 खाता सं 85/81 में 2.7950है0 खाता सं 67 में 4.4880है0 खाता सं 282/258 में 2.7060है0 खाता सं 335/293 में 2.7060है0 कृषी भूमि प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें खाता सं 335/293 की कृषी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करते समय सवंहन से माईलाल की जगह मालाराम दर्ज हो गया। जबकि सही नाम माईलाल है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो माईलाल नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं 149/122 में 2.1630है0 खाता सं 85/81 में 2.7950है0 खाता सं 67 में 4.4880है0 खाता सं 282/258 में 2.7060है0 खाता सं 335/293 में 2.7060है0 कृषी भूमि प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें खाता सं 335/293 की 2.7060 कृषी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम मालाराम की जगह माईलाल दर्ज किया जावें।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(मुकेश बारेठ) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Note:- रोही मौजा ग्राम उतरादाबास की जगह भनाई पढ़ा जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)